

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 03/11/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 02.11.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा 60 आबकारी अधिनियम में 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 02.11.2025 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह के द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे कि चकसुल्तान के पास से 10 ली0 नाजायज शराब ले जा रहे एक नफर अभि0 अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 छांगुर गुप्ता नि0ग्रा0 आराजी कस्बा स्वाद थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 छांगुर गुप्ता नि0ग्रा0 आराजी कस्बा स्वाद थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 48 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 191/2025 धारा 60 आबकारी अधि0

2. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा 60 आबकारी अधिनियम में 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 02.11.2025 को उ0नि0 अशोक कुमार शुक्ल मय हमराह के द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी, क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे कि बघांव तिराहे के पास से 10 ली0 नाजायज शराब ले जा रहे एक नफर अभि0 रविकान्त उर्फ होलन पुत्र तिन्ना नि0ग्रा0 बेलहरा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

रविकान्त उर्फ होलन पुत्र तिन्ना नि0ग्रा0 बेलहरा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 192/2025 धारा 60 आबकारी अधि0

03. मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 03 परिवारों की कराई गई विदाई ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16.10.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 29 प्रकरण को सुना गया। जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 03 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी । 09 पारिवारिक विवाद में कुशलता के बाद पत्रावली बंद कर दी गई 12 प्रकरण में मध्यस्था विफल होने पर विधिक सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई शेष 05 प्रकरण में अभी मध्यस्थता न होने पर अगली तिथी निर्धारित की गई इन सभी प्रकरण के निस्तारण में विक्रमादित्य मिश्र, कमरुद्दीन, वीरेंद्र नाथ राम, पूजा श्रीवास्तव, मनोरमा राय, महिला आरक्षी रागिनी चौबे, महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी सबिता, महिला आरक्षी संध्या, महिला होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख रहें।

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**